


तारीख
हुक्म

हुक्म या कायदा मय इनामयल जज

अदालत
हुक्म की
में जारी

12/05/25

वकील (नाम लुपत) मूल वाद (नाम लुपत) के
डिपॉजिट में जारी किया जा चुका है मूल वाद
के अभाव में इस पत्रावली पर कार्यवाही का कोई
अर्थ नहीं है अतः यह अफसोसनी बात है
डिपॉजिट तथा मूल वाद के अभाव में जारी किया
जाता है पत्रावली में मूल मुद्दा ही है
मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न है


सपक्ष अधिकारी
धीलपुर (अ.प्र.)